न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 06/2020

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

1.श्री गणेशराम पुत्र प्रताजी जाति माली निवासी राजगढ़ तहसील रेवदर जिला सिरोही हाल प्रो. आशापुरा चवाणा एवं स्वीट होम करौटी।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोज अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. सुश्री मीनाक्षी गौतम अधिवक्ता अप्रार्थी।

दिनांक 21.12.2020

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2020 को जिला रसद अधिकारी सिरोही के प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक, रेवदर द्वारा अप्रार्थी के होटल पर जॉच करने पहुँचने पर होटल मे 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग होटल प्रयोजनार्थ करने से उक्त चार गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी गौतम द्वारा जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश नही किया गया ।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ होटल व्यवसाय मे किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी गौतम द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवदेन करते हुए तीन गैस सिलेण्डरो को वापस दिलवाये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:43:07 IST
Reason: SelfAttested

मैने प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मैंने तथ्यों एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों 14.2 किलो का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ होटल व्यवसाय मे किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त चार गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त चार गैस सिलेण्ड़रों को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:43:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner